

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

क्रमांक 7.P.723 / नं० वि०

मेक- 3

श्री मती रानी अग्रवाल

पति - श्री मोहन लाल अग्रवाल,

पता - तरायदेला, धनबाद।

धनबाद, दिनांक 28/8/14

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संरक्षक भवन निर्माण हेतु गृह प्लान कोश नं०  
बी० डी० 276/14-15 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 21.7.14 के संबंध में।  
महाराज,

आपके आवेदन, दलील संख्या - 3268 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 5811184-85

जमाबंदी संख्या 585 से निर्गत लगान् रसीद वर्ष 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संरक्षक भवन संबंधी बी० डी० कोश नं० 276/14-15 के नवशे की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि कोलापुरा-12 भूखण्ड अन्तर्गत खाता नं० 76 प्लॉट नं० 18, 19, 28, 29 रकबा 5452 वर्ग मीटर भूमि पर स्वीकृत नवशे के अनुसार लाईसेंस अभियन्ता श्री अनिल कुमार चट्टोपाय्य की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेगे।

स्वीकृत नवशे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नवशे में दर्शाये वाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियम के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संरक्षक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नवशा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नवशा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू० 368000 जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक भ्रामयुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

नगर निदेशक/तकनीकी सदस्य  
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार  
धनबाद। 28/8/14

आपका

सदस्य निदेशक

निदेशक

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक

/ नं० दि०

सेवा नं०

श्री **मती रानी उग्रवाल**

पति - **श्री मोहन लाल उग्रवाल,**

पता - **तरायड़ीला, धनबाद।**

धनबाद, दिनांक .....

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान कोश नं०  
बी० डी० **276/14-15** संबंधी आपके आवेदन दिनांक **21.7.14** के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या - **3268** दाखिल खारिज अभिलेख संख्या **581/1184-85**

जमाबंदी संख्या **585** से निर्गत लगान रसीद वर्ष **14-15** की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशासक के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० कोश नं० **276/14-15** के नक्शे की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निर्देशानुसार सूचित करना है कि **होलाकामा-12** गैर-अन्तर्गत खाता नं० **76** प्लॉट नं० **18, 19, 28, 29** **54521 धनबाद** भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री **अनिल कुमार चौधरी** की देख रेख में कार्यान्वयन के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अघोहस्ताक्षरी को कार्यान्वयन की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अघोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बिना किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

गाड़ा भवन विनियम के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में **257** कुल रु० **368,000** जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

**हो।**

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य  
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार  
धनबाद।

ज्ञापक टी०पी० **723** / नगर निवेशक  
प्रतिनिधि - श्री **अनिल कुमार चौधरी**

दिनांक **22/8/14**

2 श्री सहायक श्रमायुक्त, धनबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य  
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार  
धनबाद।

**22/8/14**